



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127783

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19416/2026

विक्रम प्रसाद पटेल उर्फ विक्रम

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अरविंद कुमार यादव, जितेन्द्र कुमार यादव

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., राजीव चौधरी

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. सूची पुनरावृत्त की गई। प्रथम शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी गई।
2. यह जमानत याचिका आवेदक द्वारा थाना मिर्ज़ापुराद जिला वाराणसी में, बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 103(1), 238, 3(5) के तहत दर्ज मामला अपराध संख्या 20/2026 में आवेदक की जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मारपीट की मुख्य भूमिका सह-आरोपी कुलदीप को सौंपी गई है। आवेदक के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि इसी तरह की स्थिति वाली सह-आरोपी चंद्रावती देवी उर्फ चंद्रावती को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 18626/2026 में दिनांक 12.06.2026 को पारित आदेश द्वारा जमानत दे दी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह 19.01.2026 से जेल में।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाली सह-आरोपी, अर्थात् चंद्रावती देवी उर्फ चंद्रावती को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों का अध्ययन किया है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाली सह-आरोपी चंद्रावती देवी उर्फ चंद्रावती को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आदेश को रद्द या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 19.01.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

8. उपर्युक्त मामले में अपराध के आरोपी **विक्रम प्रसाद पटेल उर्फ विक्रम** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.द.सं./ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द.प्र.सं./ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भा.द.सं./ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को मुकदमे की शुरुआत, आरोप निर्धारण और धारा 313 द.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करे।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

नितेन्द्र

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।